

२०/७/१६ पत्रावली आज लोक अदालत न्याय आयोगे हार ग्राम पंचायत
 मुख्यालय लोडियाना पर पेश हुई। वादीया एवं उतिवादी स्वम
 उपस्थित। इन्होंने वाद पर आगे कार्यवाही नहीं चलाने का निवेदन
 किया व आदेशिका पर अंकित किया। उनकी पहचान संपन्न
 ग्राम पंचायत लोडियाना ने कि है। निवेदन पक्षकारण स्वीकार
 योग्य होते से स्वीकार किया जाता है। तथा वाद पर कार्यवाही
 ड्रॉप करने के आदेश पारित किये जाते हैं। मिसल फैसल
 शुमार होकर नम्बर से कम हो। वाद दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
 मसूदा (अजमेर)

में शवाओसे
 नहीं चालाना
 चाहती हूँ

अ/लि/समना

अ/लि/लाइ

अ/म/५९५२

सरपंच
 ग्राम पंचायत लोडियाना
 मसूदा (अजमेर)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान
 अधिनियम

वादी को ओर से सादर निवेदन है कि

